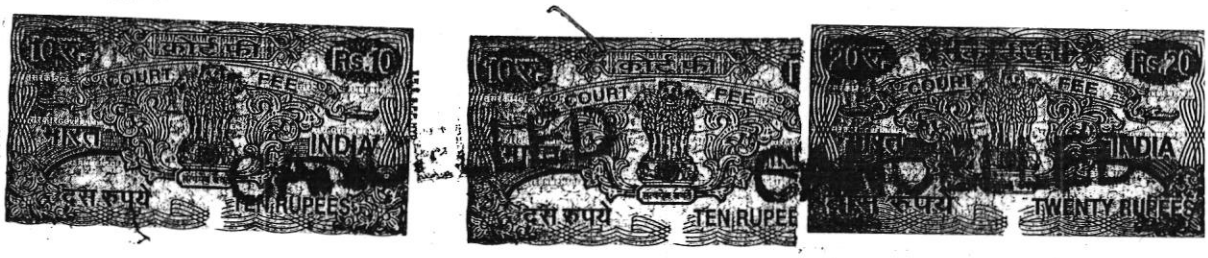

34

**समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)**

रा/निगरानी/बालाघाट/भू.रा/2017/4804

**पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2016–17**

**पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक** : लिखनलाल दीवान आत्मज श्री सूरत दीवान, उम्र 70 वर्ष, निवासी– ग्राम कटंगी, तह. बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2434

**विरूद्ध**

**गैरपुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण** : 1. नारायण आत्मज मुकुन्दी पंचतिलक, उम्र लगभग 30 वर्ष,

2. देवेन्द्र आत्मज झनक दीवान, उम्र लगभग 50 वर्ष,
दोनों निवासी– ग्राम कटंगी, तह. बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

धनेश तिवारी
प्रस्तुत 2192
10 OCT 2017
कार्यालय कमिश्नर

**पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959**

पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार बैहर जिला बालाघाट द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 एवं अवैधानिक रूप से की गई सीमांकन कार्यवाही से व्यथित व क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधार के तहत् प्रस्तुत करता है:–

**प्रकरण के तथ्य**

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता ग्राम कटंगी, तह. बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) का स्थाई निवासी है ।

2. यह कि, गैर–पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा तहसीलदार बैहर

**XXXIX(a)-BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** – एक/निगरानी/बालाघाट/भू.रा./2017/4314 **जिला** – बालाघाट

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4/1/18 | प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार बैहर जिला बालाघाट के प्रकरण कमांक 1/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.05.2017 की आदेश पत्रिका को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, बल्कि आदेश पत्रिका में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए प्रकरण अनावेदकों के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।<br>प्रशासकीय सदस्य | |